रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1426] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2008/आश्विन 18, 1930
No. 1426] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2008/ASVINA 18, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2008

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के कारण बढ़े हुए एफ.ए.आर. के लिए उपयोग परिवर्तन मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण

का.आ. 2432(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

क्रम सं.	मद	सिफारिश
1.	(क) : आवासीय सम्पत्तियां मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत बेसमेंट सहित-सुधार प्रभार के भुगतान/नए निर्माण हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों और अनधिकृत निर्माण के नियमन के लिए जुर्माने/संघटन/विशेष संघटन शुल्क के भुगतान की दरें ।	दिनांक 20-11-2006 की अधिसूचना के अनुसार, जो 2007-08 के लिए लागू थीं ।
	(ख) : आवासीय सम्पत्तियां मिश्रित उपयोग के अंतर्गत बेसमेंट सहित ।	प्रभार वही होंगे, जो बेसमेंट के ऊपर बने हुए तलों के लिए अधिसूचित हैं ।
2.	(ग) : दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित सहकारी समूह आवास सोसायटियों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार ।	वर्ष 2006-07 और 2007-08 दोनों के लिए अधिसूचना दिनांक 20-11-2006 के पैरा 5.2 के अंतर्गत आवासीय सम्पत्तियों की दरों की समतुल्य दरें ।
3.	(घ) : नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के आवासीय क्षेत्रों के लिए सुधार प्रभार/अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार शुल्क और जुर्माने/संघटन प्रभार/विशेष संघटन प्रभार की दरें ।	दिल्ली नगर निगम की 'ए' श्रेणी की कालोनियों की दर के समतुल्य ।
4.	(ङ) : अस्पतालों सहित व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटलों और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. की दरें ।	गत वर्ष अद्यतन की गई जोनल औसत नीलामी दर के 50 प्रतिशत से ।

क्रम सं.	मद	सिफारिश
5.	(च): औद्योगिक प्लॉटों के अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार ।	व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु अतिरिक्त एफ.ए.आर. के अनुरूप, अद्यतन की गई पिछली जोनल औसत नीलामी दर (जैड. ए. ए. आर.) का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है ।
6.	(छ): सांस्थानिक प्लॉट	नीलामी द्वारा बेची गई सम्पत्तियों और प्राइवेट पार्टियों को आबंटित की गई सम्पत्तियों के लिए, सांस्थानिक सम्पत्तियों की अद्यतन की गई जोनल मार्केट दर के 50 प्रतिशत से । यह उन संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जिन्हें 1/-रू. की दर से भूमि आबंटित की गई थी और जिनके लिए कोई भी प्रभार संस्तुत नहीं है ।
7.	(ज): बैंक्वेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए भूमि उपयोग के 'औद्योगिक' से 'व्यावसायिक' कार्यकलापों में परिवर्तन हेतु उपयोग परिवर्तन प्रभार ।	दर ढांचा निम्नानुसार है:— एक कालिक परिवर्तन प्रभार= {वर्तमान व्यावसायिक दर –(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर} का 25 प्रतिशत
8.	संस्वीकृति के बिना अतिरिक्त एफ.ए.आर. का लाभ उठाने हेतु जुर्माना ।	व्यावसायिक/औद्योगिक/सांस्थानिक सम्पत्तियों हेतु:— अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों के अलावा जुर्माने के रूप में 30 प्रतिशत

[सं. फा. 20(4)/05/एम.पी./पार्ट-2/पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2008

Fixation of rates to be applied for use conversion mixed land use and other charges for enhanced FAR arising out of MPD-2021

S.O. 2432(E).— In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 to 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations:

S.No.	Item	Recommendation
1.	(a) : Residential properties i/c for basement under Mixed use-rates of payment of betterment levy/ additional FAR charges for new construction and penalty/ compounding/special compounding charges for regularization of unauthorized construction.	As per notification of 20.11.2006, which was applicable for 2007-08.
	(b): Residential properties i/c for basements under Mixed Use.	The charges to remain the same as notified for the floors above the basement.
2.	(c): Additional FAR charges for Cooperative Group Housing Societies allotted by DDA.	To be at par with rates for residential properties under para 5.2 of notification dated 20.11.2006 both for 2006-07 and 2007-08.
3.	(d): Rates for betterment/levy additional FAR charges and penalty/compounding charges/ special compounding charges for NDMC residential areas.	As par with the rate of 'A' category of MCD colonies.

Sl. No.	Item	Recommentation
4.	(e) : Rates for additional FAR for commercial properties (excluding hotel and parking plots), inclusive of hospitals	@50% of the updated last year zonal average auction rate.
5.	(f): Additional FAR charges for industrial plots.	To be determined as 50% of the updated previous ZAAR on the lines of additional FAR charges for commercial properties.
6.	(g): Institutional Plots.	@50% of the updated zonal market rate of Institutional properties for those disposed by auction as well as for those properties which were allotted to private parties. This is not applicable to those institutions which were allotted land @ Re1/- for whom no such charge is recommended.
7.	(h): Use conversion charges for change of land use from `Industrial' to `Commercial' for Commercial activities including Banquet Halls.	Rate structure given as follows: One time conversion charge = 25% of [Present commercial rate (minus) present industrial rate].
8.	Penalty for availing additional FAR without sanction.	For commercial/ industrial/institutional properties, @ 30% as penalty over and above additional FAR charges.

[No. F. 20(4)/05/MP/Pt.-II/Pt.]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054